

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08-02-2024 को आयुक्त अनुसूचित जाति विकास भोपाल की विडियो कान्फेन्स में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 के नवीन ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र जिन्होंने उपर्युक्त वर्ष में छात्रवृत्ति फार्म नहीं भरा, उन्हें पुनः पोर्टल पर फार्म भरने हेतु पोर्टल खोला गया है। अतः समस्त संस्थाएं 25 फरवरी के पूर्व फार्म भरवाना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी विद्यार्थी आवेदन करने से छूट जाता है। तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित संस्था एवं विद्यार्थी की होगी।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास सागर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर (म0प्र0)

क0 / पीएमएस / आ0वि0 / 2023-24 / 2139

सागर दिनांक 09/2/2024

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0)

कमांक / एस.सी.एस.टी.सेल / 2023-24 / 393

दिनांक: 09.02.2024

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला-सागर की प्रेस विज्ञप्ति क0 / पीएमएस / आ0वि0 / 2023-24 / 2139 सागर, दिनांक 09.02.2024 अनुसार वर्ष 2022-23 के नवीन ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र जिन्होंने उपर्युक्त वर्ष में छात्रवृत्ति फार्म नहीं भरा, उन्हें पोर्टल पर फार्म भरने हेतु पोर्टल खोला गया है। अतः ऐसे संबंधित विद्यार्थी एमपीटास पोर्टल पर 25 फरवरी 2024 के पूर्व ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें, एवं आवेदन की हार्डकापी अपने से संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय में शीघ्र जमा करें।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)-कृपया संबंधित छात्रों को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा-संबंधित छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलसचिवजी के निज सहायक-सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला- सागर (म.प्र.)- सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल-कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

अधिष्ठाता

छात्र गतिविधियाँ